कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 639/-FP/UK/ROAD/50469/2020 : देहरादूनः दिनांकः 03/10/ सितम्बर 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

जनपद पिथौरागढ में मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1711/2015 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत आरकोट–सैन्थल से मौचोरा (शहीद जमन सिंह) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.115 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online No FP/UK/ROAD/50469/2020 )।

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्र सं0–08बी/यू0सी0पी0/06/72/2021/एफ0सी0/340, दिनांकः–06.06.2022 ।

महोदय,

भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार के द्वारा विषयांकित प्रकरण पर दिनांक–06.06.2022 04 बिन्दुओ पर सूचना चाही गयी है। जिसकी सूचना वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा पत्र/दिनांक 20.09.2023 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की गयी हैः–

| क्र0 सं0 | आपत्ति | आपत्तियो का निराकरण |
|---|---|---|
| 1 | इस कार्यालय के बिन्दु सं0 2 के अनुसार प्रस्ताव को लाभान्वित होने वाले गांवो पर ही समाप्त किया जाना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा मार्ग को आगे बढाये जाने का स्पष्टीकरण मान्य नही किया जा सकता है। अतः राज्य सरकार तदनुसार प्रस्ताव को संशोधित कर इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें। | प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मोटर मार्ग निर्माण हेतु शासनादेश 4.00 किमी0 लम्बाई मे स्वीकृत है। उक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा मोटर मार्ग की लम्बाई लाभान्वित आबादी तक संशोधित करते हुए प्रस्ताव गठन हेतु कहा गया है। जिसके क्रम मे अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण से ग्राम गदाली, बड़ीगांव व मौचोरा सीधे रूप से लाभान्वित हो रहे है, परन्तु मोटर मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 4.00 किमी0 ही होने के कारण बिजौरी तक मोटर मार्ग नही पहुँच पा रहा है। मोटर मार्ग 0.500 किमी की अतिरिक्त लम्बाई पर बिजौरी तक जुड जाता, परन्तु स्वीकृत लम्बाई के सापेक्ष ही समरेखण अनुमोदित कराये जाने के कारण मोटर मार्ग वन क्षेत्र में समाप्त हो रहा है। मोटर मार्ग की लम्बाई कम किये जाने की स्थिति में बिजौरी की मोटर मार्ग से दूरी अत्यधिक हो जाने के कारण मोटर मार्ग की लम्बाई कम किया जाना सम्भव नही है। इसको अतिरिक्त स्थानीय जनता द्वारा भी मोटर मार्ग स्वीकृत लम्बाई से कम लम्बाई में निर्मित किये जाने हेतु विरोध किया जा रहा है। जिसके क्रम में मोटर मार्ग के सशोधित प्रस्ताव गठित किये जाने सम्भव नही है। अतः स्वीकृत 4.00 किमी0 लम्बाई में ही मोटर मार्ग निर्माण किया जाना उचित होगा। |
| 2 | राज्य सरकार पातन किये जाने वाले वृक्षो की गणना 7 मी0 पर कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट | वृक्षों की गणना 7.00 मी0 चौडाई में कर ली गई है प्रपत्र अपलोड कर दिये गये है।(संलग्न–01) |

| | | |
|---|---|---|
| | करे। | |
| 3 | प्रस्ताव के अनुसार मलवा निस्तारण योजना में मलवा निस्तारण निजी भूमि पर भी किया जाना है। जिसकी जानकारी ऑनलाईन पार्ट–1 के पैरा बी 2.4 पर उपलब्ध नही है। इस हेतु राज्य सरकार निजी भूमि में मलवा निस्तारण की जानकारी ऑनलाईन पार्ट–1 के पैरा बी 2.4 मे अपलोड करने का कष्ट करे। | मोटर मार्ग में कुल 3.115 हे0 वन भूमि तथा 0.09 हे0 नापभूमि प्रभावित हो रही हैं। पूर्व में त्रुटिवश नापभूमि की सूचना अंकित नही की जा सकी। उक्त के अतिरिक्त प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि डाटा लॉक होने के कारण सूचना केवल उच्च स्तर से संशोधित किया जाना सम्भव है।**(लैण्ड शैड्यूल संलग्न)** |
| 4 | भू–संदर्भित मानचित्र के अनुसार प्रस्तावित मार्ग बिन्दु सं0 A से होता हुआ बिन्दु सं0 E के आगे तक जा रहा है, जबकि वैकल्पिक मार्ग में बिन्दु सं0 A से बिन्दु सं0 E तक की दूरी प्रस्तावित मार्ग से कम प्रतीत हो रही है। जिससे वैकल्पिक मार्ग ज्यादा उचित प्रतीत हो रहा है। अतः राज्य सरकार वैकल्पिक मार्ग न चुनने का कारण स्पष्ट करें। | प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वैकल्पिक मार्ग में अधिक वैंड पड रहे हैं तथा वैकल्पिक समरेखण में प्रस्तावित समरेखण से अधिक वृक्ष भी प्रभावित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीणों द्वारा भी प्रस्तावित समरेखण पर ही सहमति जताई गई है। भूवैज्ञानिक की आख्या के अनुसार भी वैकल्पिक समरेखण में अधिकांश स्थलों पर ग्रेडिएन्ट 1:4,1:5 के होने के कारण तकनीकी दृष्टि से भी वैकल्पिक समरेखण उपयुक्त नहीं है। |

अतः प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षक, उत्तरी वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्र/दिनांक 20.09.2023 द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

**संलग्न–उपरोक्तानुसार ।**

भवदीय,

(आर0के0मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड,देहरादून।

संख्याः 639/ **FP/UK/ROAD/50469/2020 तद्दिनांकित।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ वन प्रभाग, पिथौरागढ।
3. अधिशासी अभियता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अरकोट(पिथौरागढ)।

(आर0के0मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड,देहरादून।